<u>सत्र प्र. क. 94/18 शासन वि. राजू वैष्णव अन्य</u>

Witness No. .....**21**..... for .....अभि.सा..... Deposition taken the .....20.09.2021.....day of सोमवार Witness's apparent age .....34 वर्ष..... States on affirmation शपथ पूर्वक my name is ..... **हरिओम द्विवेदी** Son of..... श्री अशोक कुमार द्विवेदी..... occupation डिप्टी कलेक्टर address कलेक्टर कार्यालय बिलासपुर छ.ग..

———————————————————————————————

समय 01:00 बजे प्रारंभ

<u>मुख्यपरीक्षण द्वारा श्री राघवेन्द्र सिंह अपर लोक अभियोजक</u>

1. मै दिनांक 23.12.2017 को मै नायब तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डाधिकारी धरसींवा तहसील व जिला रायपुर मे पदस्थ था।

2. अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर के आदेश क्रमांक 14/2017 आदेश दिनांक 23.12.2017 प्राप्त हुआ। उक्त आदेश मे उल्लेखित था कि जांच पता तलाश के दौरान राजू वैष्णव पिता मोहन वैष्णव, राजा खान पिता लतीफ खान ने पुछताछ मे मेमोरेण्डम मे बताया कि गुमशुदा किशोर वर्मा की दिनांक 15.12.2017 की शाम को लोहे की पाईप व लकड़ी की बल्ली से मारपीट कर हत्या कर लाश को अजय सिंह के फैक्ट्री रांवाभांठा थाना खमतराई के पिछे मिट्टी डाल कर पाट दिया है। धारा 174 द.प्र.सं. के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गुमशुदा आदमी किशोर वर्मा पिता दुखुराम वर्मा उम्र 47 वर्ष निवासी चरौदा रायपुर के शव खनन की अनुमति हेतु मुझे अपने देखरेख मे कराकर शव खनन करवाकर पंचनामा कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया था उक्त आदेश **प्रदर्श पी–42** है जिसमे तत्कालीन अनुविभागीय दण्डाधिकारी हरवंश सिंह मिरी के अ से अ भाग पर हस्ताक्षर है जिन्हें मै उनके अधिनस्थ काम करने के कारण पहचानता हूं।

3. उक्त आदेश के पालन मे मेरे द्वारा दिनांक 24.12.2017 को प्रातः 08:00 बजे न्यूजन इंजिनियरिंग रांवाभाठा जिला रायपुर मे राजू वैष्णव पिता स्व. मोहन वैष्णव एवं जुम्मन उर्फ राजा खान पिता लतीफ खान की निशानदेही पर खोमान वर्मा पिता विष्णु वर्मा एवं तारकेश्वर वर्मा पिता खोमान सिंह वर्मा गवाह की उपस्थिति मे राजू वैष्णव एवं जुम्मन उर्फ राजा खान के द्वारा बताए गए स्थान पर निशानदेही स्थल का पंचनामा तैयार किया गया। साक्षी ने न्यायालय उपस्थित आरोपीगण को पहचान कर बताया कि इन आरोपीगण द्वारा ही मौका स्थल का निशानदेही किया गया था। उक्त निशानदेही पंचनामा **प्रदर्श पी–1** है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है।

4. पंचनामा के लिए गवाह को प्रेषित नोटिस **प्रदर्श पी–18** है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। मौके पर पहुंचकर आरोपीगण एवं गवाहों की उपस्थिति मे तथा पुलिस बल के साथ रांवाभांठा प.ह.न. 28 रा.नि.म. धरसींवा जे.सी.बी. क्र. सी.जी. 04 एल. 3669 से उक्त निशानदेही स्थल पर खुदाई प्रारंभ करवाई गई तब खुदाई उपरांत निकले शव को मृतक किशोर वर्मा के रूप मे उनके भाई कृष्णा वर्मा द्वारा पहचान किया गया तथा उसके पश्चात् उक्त पर अंकित पहचानो को धारा 175 का नोटिस जारी किया जो उपस्थित हुए तथा जिनकी पंचनामा कार्यवाही की मंशा से उनको अवगत करवाकर पंचनामा कार्यवाही की गई। पंचनामा कार्यवाही के दौरान मृतक किशोर वर्मा के शव को मिट्टी से हटाने के उपरांत गढ्ढे मे पंचानों के साथ देखा गया। जिसमे मृतक का शव गढ्ढे मे सिर उत्तर की ओर, पैर दक्षिर की ओर, चेहरे का बांया हिस्सा दिख रहा है तथा मृतक गुलाबी रंग का फुल शर्ट, काले रंग का बेल्ट एवं नीले रंग का पेंट, रेक्जीन का जूता एवं काले रंग का मोजा पहना

हुआ था। शव को पंचानों की मदद से गढ्ढे से बाहर निकाला गया। तत्पश्चात् मृत्यु का सही कारण जानने के लिए पंचानों की राय से सहमत होते हुए मृतक के पोस्टमार्टम के लिए मृतक किशोर वर्मा के शव का थाना प्रभारी धरसींवा श्री भूषण एक्का को सुपुर्द किया। उक्त नक्शा पंचनामा **प्रदर्श पी–19** है जो कि दो पन्नों मे है जिसके स से स भागों पर मेरे हस्ताक्षर है।

5. तत्पश्चात् शव पहचान पंचनामा थाना धरसींवा जिला रायपुर गुम इंसान क्र. 76/17 गुम इंसार किशोर वर्मा को दिनांक 24.12.2017 को न्यूजन इंजिनियरिंग रांवाभांठा रायपुर के पास से मेरे द्वारा गवाह कोमान वर्मा पिता विष्णु वर्मा तथा तारकेश्वर वर्मा पिता स्व. कोमान सिंह वर्मा की उपस्थिति मे मृतक के भाई कृष्णा वर्मा द्वारा शव खनन उपरांत निकाले गये शव को मृतक किशोर वर्मा के रूप मे पहचान किया गया जिसका शव पहचान पंचनामा मेरे द्वारा मौका स्थल पर गवाहों एवं पहचानकर्ता की उपस्थिति मे तैयार किया गया जो **प्रदर्श पी–2** है जिसके स से स भाग पर मेरे हस्ताक्षर है। उक्त समस्त कार्यवाही पश्चात् निशानदेही पंचनामा मूल, शव पहचान पंचनामा एक प्रति मूल एवं नक्शा शव पंचनामा एक प्रति मूल बंद लिफाफे मे थाना प्रभारी धरसींवा को मेरे द्वारा प्रदाय किया गया।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री धर्मेन्द्र वर्मा अधिवक्ता वास्ते अभियुक्तगण</u>

6. यह कहना सही है कि मैने निशानदेही स्थल पंचनामा एवं शव पहचान पंचनामा क्रमशः प्रदर्श पी–1 एवं पी–2 की कार्यवाही दिनांक 24.12.2017 को किया हूं। यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रदर्श पी–2 शव पहचान पंचनामा की कार्यवाही दिनांक 24.12.2017 को किया हूं तब पता चला कि मृतक किशोर वर्मा है।

7. यह कहना सही है कि न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर द्वारा मुझे शव पहचान पंचनामा एवं निशानदेही स्थल पंचनामा कार्यवाही करने के लिए प्रकरण क. 14/2017 दिनांक 23.12.2017 को प्राप्त हुआ था। यह कहना सही है कि दिनांक 23.12.17 को कौन व्यक्ति गढ्ढे मे था इसकी जानकारी नहीं थी उक्त जानकारी मेरे द्वारा दिनांक 24.12.2017 को निशानदेही स्थल पंचनामा एवं शव पहचान पंचनामा कार्यवाही के पश्चात् ही पता चला कि मृतक किशोर वर्मा है।

8. यह कहना गलत है कि मेरे द्वारा निशान देही स्थल पंचनामा एवं शव पहचान पंचनामा की कार्यवाही नहीं किया गया है। यह कहना गलत है कि पुलिस वालों ने लिखकर जो मुझे दिया था उसमे केवल हस्ताक्षर किया हूं।

9. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा स्थल पंचनामा एवं शव पंचनामा दिनांक 24.12.2017 को किया गया है। यह कहना सही है कि न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर के आदेश क. 14/2017 दिनांक 23.12.2017 को जो पत्र मुझे प्राप्त हुआ है उसमे मेरे द्वारा स्थल देही पंचनामा एवं शव पंचनामा की कार्यवाही के पूर्व ही मृतक किशोर वर्मा का नाम लिखा हुआ है। स्वतः कहा कि न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी रायपुर के आदेश क. 14/17 दिनांक 23.12.2017 के पत्र के प्रथम पैराग्राफ पर थाना प्रभारी धरसींवा के पत्र का विवरण अंकित है एवं द्वितीय पैराग्राफ पर न्यायालय दण्डाधिकारी रायपुर के आदेश के परिपालन मे किसी गुम इंसान क. 76/17 गुमशुदा किशोर वर्मा पिता दुखुराम वर्मा उम्र 47 वर्ष निवासी चरौदा जिला रायपुर के शव उत्खनन कराकर नियमानुसार पंचानामा कार्यवाही हेतु आदेशित किया गया है।

10. यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–1 व 2 की कार्यवाही मैने ऑफिस मे बैठकर किया है एवं गवाहों के हस्ताक्षर भी बाद मे लिया है। यह कहना गलत है कि मैने नक्शा पंचायतनामा के लिए गवाहों को नोटिस नहीं दिया था। यह कहना गलत है कि प्रदर्श पी–1, 2 एवं 18, 19 की लिखापढ़ी मेरे द्वारा नहीं किया गया है। यह कहना सही है कि प्रदर्श पी–1, 2 एवं 19 तथा प्रदर्श पी–18 की लिखावट मे भिन्नता है। स्वतः कहा कि मेरे निर्देशन एवं मार्गदर्शन पर प्रदर्श पी–1, 2 एवं प्रदर्श पी–18 व 19 तैयार किया गया था।

समय 01:50 बजे समाप्त

गवाह को पढ़कर सुनाया गया । मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।
सही होना स्वीकारा गया ।

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर छ.ग.

सही/–
(अजय सिंह राजपूत)
चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश,
रायपुर छ.ग.

गवाह के हस्ताक्षर–.....